न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 23/2023
(GCMS 2023/91)(21194246852786)

श्री विजय कृष्ण कौशिक निवासी 12 पूजा कॉलोनी, वार्ड नं. 43 श्रीगंगानगर
(मोबाईल नम्बर 89630—10059)

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कृष्ण कौशिक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कृष्ण कौशिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ पर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कृष्ण कौशिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.12.2023 के द्वारा **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** से निम्न सूचना चाही थीः

1. 2010 से सूरतगढ़ कस्बा क्षेत्र के पैराफेरी के टीसी जमीन की जो भी खातेदारी दर्ज हुई उन सबके इन्तकाल (नामान्तरण) की प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि।
2. इकबाल हुसेन कुरेशी पुत्र [illegible] कुरेशी खसरा नं. 375/7 आज [illegible] दर्ज हुई है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें।
3. कस्बा सूरतगढ़ क्षेत्र में पेराफेरी [illegible] का नक्शा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 15.03.2024 से अपील का जवाब निम्नानुससार प्रेषित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि श्री विजय कृष्ण कौशिक द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र सूरतगढ़ कस्बा के पैराफेरी क्षेत्र में दर्ज खातेदारी के इन्तकाल की नकल व सूरतगढ़ के ख.नं. 375/4 की नकल गिरदावरी चाही गयी है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में नामान्तरकरण संख्या तथा गिरदावरी संवत् का उल्लेख नही किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त विवरण उपलब्ध करवाने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी तथा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी कस्बा सूरतगढ़ के राजस्व नक्शा में पैराफेरी के खसरा का अलग से सीमाकंन नही है खसरा नम्बर उपलब्ध करवाने पर नक्शा की नकल उपलब्ध करवा दी जावेगी।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.),
> सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

चूंकि तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है और प्रार्थी को भी अपने पत्रांक भू.अ./2024/4817 दिनांक 15.03.2024 से सूचित किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो [illegible] रूप में नही होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रार्थी [illegible] सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के पास उपलब्ध है। **सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर श्रीगंगानगर द्वारा अपील का जो जवाब दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनओं को देखते हुए तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित सूचनाओं हेतु नामान्तरण संख्या, गिरदावरी संवत् आदि उपलब्ध करवा दे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार(भू.अ.), सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.05.13 12:16:28 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर